उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: df@upcl.org , Website: www.upcl.org

पत्रांक /उ0पा0का0लि0/निदे0(वित्त)–145 दिनांक : 18/06/2022

समस्त अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

विषयः–**ई0एम0एफ0 खाता (जमा मद) की रोकड़ बही की प्रविष्टियों पर कर देयता हेतु उत्तरदायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक संज्ञान में लाया गया है कि ई0एम0एफ0 खाते (जमा मद) की रोकड़ बही एवं बैंक खाते की प्रविष्टियों की समीक्षा तथा बैंक समाधान विवरण सम्बन्धित कार्य लेखाकार (राजस्व) के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं। प्रचलित कार्य व्यवस्था के दृष्टिगत जमा मद के कार्यो का प्राक्कलन खण्डीय तकनीकी इकाई द्वारा तैयार किये जाने के उपरान्त लेखाकार (कार्य) द्वारा आवश्यक जॉच के साथ सम्बन्धित उपभोक्ता को टी0सी0 प्रेषित करने एवं उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त जी0एस0टी0 सम्बन्धित व्यवस्थाओं का निर्धारण (GST Receipt Voucher), कार्य पूर्ण होने पर (Tax Invoice) निर्गत कर तथा विभिन्न करों का निर्धारण के साथ जमा धनराशि कम या अधिक पाये जाने पर जमा मद का निस्तारण आदि विषयों का संज्ञान लेखाकार (कार्य) द्वारा किया जाना होता है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा बैंक के माध्यम से जमा मद धनराशि का संज्ञान/निस्तारण भी लेखाकार (कार्य) के लिये आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वर्तमान में विभिन्न करों की देयता/विभिन्न जी0एस0टी0 इनवाईस का ससमय निस्तारण को दृष्टिगत करते हुये, निर्देशित किया जाता है कि खण्ड की ई0एम0एफ0 रोकड़ बही/बैंक खाते की जमा मद के कार्यो की प्रविष्टियों की समीक्षा/जी0एस0टी0 अनुपालन का उत्तरदायित्व खण्डीय लेखाकार (कार्य) का होगा।

ई0एम0एफ0 खाते में जी0एस0टी0 से सम्बन्धित अन्य मदों–विविध प्राप्ति–पी0डी0/डी0सी0/आर0सी0/मीटर सिफ्टिंग इत्यादि पर नियमानुसार लागू जी0एस0टी0 सम्बन्धि सूचना लेखाकार (राजस्व) द्वारा लेखाकार (कार्य) को नियमानुसार कर देयता हेतु उपलब्ध करायी जायेगी एवं इस हेतु दोनों का सयुंक्त उत्तरदायित्व होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जमा मद एवं उपभोक्ता जमा–प्रतिभूति के ड्रॉफ्ट अलग से प्राप्त करते हुये, ई0एम0एफ0 खाते में ही जमा किया जाये।

उपरोक्त का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाये की करों की देयता का निस्तारण निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सुनिश्चित हो एवं कारपोरेशन को किसी प्रकार की अतिरिक्त देयता वहन न करनी पड़े।

(नवीन कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

पंत्राक 456 /निदे0(वित्त)/उपाकालि / तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन) उपाकालि, वि.क्रॉ.वि.ग0सि. ऊर्जा भवन देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) उपाकालि।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) उपाकालि।
4. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त) उपाकालि।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि को विभागीय वैबसाइट में अपलोड करने हुते प्रेषित।

(नवीन कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 0135–2763870 फैक्सः 0135–2760733
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 0135-2763870 Fax: 0135 -2760733